



श्री सतीष रामजी भगत  
नॉटिस  
30/04/2016

नॉटिस की खोज प्राप्त की एवं दो प्रतियाँ में नियमानुसार भ्रकर एफ.बी.ओ. को सौंपित कर

श्री सतीष रामजी भगत को. फार्म नं. 5 ए. में वास्तु-समना-कय-करने हेतु नॉटिस-देकर

के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर भगते में लगभग 10 किंता वही रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु फौज में एक आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री सतीष रामजी भगत की उपस्थिति में

प्रथम भगते पर खाद्य अर्जना प्रथम नहीं होने जाहिर किया।

भगत ने स्वयं को प्रतिष्ठान का सैनजर होने बताया किया तथा सौके पर खाद्य अर्जना बिकी अपना परिवर्ध दिया एवं परिवर्ध लिया तथा पूछने पर श्री सतीष रामजी भगत पुत्र श्री रामजी का कारोबार करते हुए उपस्थित भिना, श्री सतीष रामजी भगत पुत्र श्री रामजी भगत को हैसियत से श्री सतीष रामजी भगत पुत्र श्री रामजी भगत अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ एनएच-12, तह. निवाड़े जिना टोक पर पड़िया। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की अधिकारी दिनांक 21.05.2016 को समय 02:30 पी.एम. पर सैसर्स लक्की ठाबा ग्राम मण्डिया संक्षेप में प्रथम पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा

दिनांक 30/04/2016

:-निर्णय:-

उपस्थित-  
1-प्रोकार सकार।  
अग्रणी अर्ज।

पुनः अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं एनडीय धारा 50 व 51

अग्रणी.....

2-सैसर्स लक्की ठाबा ग्राम मण्डिया एनएच-12, तह. निवाड़े जिना टोक।  
तह. निवाड़े जिना टोक।

1-श्री सतीष रामजी भगत पुत्र श्री रामजी भगत जाति भगत निवासी 48, कौटवा गांव कौटवा तह. बार्डलगांव जिना यवतमाल महाराष्ट्र सैनजर सैसर्स लक्की ठाबा ग्राम मण्डिया एनएच-12,

बनाम

प्रणी.....

टोक राजा

सत्यनारायण गुंजर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण,

जीसीएमएस नं-199/2016

30.04.2026

31.08.2016

63/2016 प्र.पत्र/2016

गोख निर्या

गोख दायरा

मिशन नम्बर

आर.ए.एस.

सामरतन साँकरिया

पीठासीन अधिकारी-

न्यायालय न्याय नियंत्रण अधिकारी एवं अतिरिक्त जिना मजिस्ट्रेट, टोक



भारतीय  
अधिकार विभाग  
दिल्ली

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संतोष रामजी भगत पेशी दिनांक 04.11.2016 व 12.11.2016 को न्यायालय हाजा में व्यक्तिगत उपस्थित हुआ एवं इसके बाद से लगातार अनुपस्थित है। न ही अप्रार्थी स्वयं और न ही अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया

(Sub-Standard) स्तर का होना पया। अतः आवेदक ने विकलांग के विरुद्ध आवेदक गया दही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक दिनांक 02.06.2016 के अनुसार विकलांग से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएच/334/एच/2016/384 अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/16/2404 दिनांक 16.06.2016 के द्वारा ज्ञात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ

तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाते में लिया तथा मौक पर फर्द रिपोर्ट तैयार की। करवाये कि पेर रिस्प व रेपर दोनों पर आय। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौक पर चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकलांग एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार ऊपर तक गोलार्ड में गोंद से लिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील लिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर श्रुदा पेर रिस्प नं. आई-1386 नीचे से चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कगज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह एवं विकलांग व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह लिपकाया। प्रत्येक लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-1386 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह लिपकाया। को अच्छी एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये तथा चारों नमूना भागों के भागों में विभाजित कर अलग-अलग चार साफ एवं सूखी कांच की बिरियाँ में भरकर लकन आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा दही 1 किलोग्राम को चार बराबर

प्राप्त की।

पूर्वतया हमीनिधय कर एक किलो खरीदा, जिसकी कीमत विकलांग को नगद देकर रसीद सूचनाई सुपुर्द कर विकलांग को बताकर कि यह दही वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विकलांग को वास्ते

01/12/2011-कां०  
 आतिरिक्त जिम्मेदार  
 (समस्त नगरपालिकाहरूको लागि)  
 ७२७



३०/१२/११ कां० आतिरिक्त जिम्मेदारको खुले न्यायालय में लिखा जाकर सूनाया गया।

होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फसल शुमार प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टांक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील करे। एक माह के अन्दर शारित जमा नहीं करवाने पर शारित वर्षाली की कार्यवाही हेतु निर्णय से राजकोष में संबंद्धित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश अप्रार्थी को निर्णय की सूचना हेतु पत्र जारी हो। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जारिये चलाना अप्रार्थी पर कुल शारित रूपये 15,000/- (अधरे पन्द्रह हजार रूपये) आरपित की जाती है। के अन्तर्गत पुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (Sub-standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया दही का नमूना जांच में अवमानक (Sub-मानक) प्रयोग पर कार्रवाई की बहस सूनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का

माफी से माफी पुर्माने से दण्डित किया जावे।

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में पुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य पत्र में अधिकतम तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस दही का विक्रय प्रयोग पर कार्रवाई की बहस सूनी गई। प्रयोग पर कार्रवाई की बहस के दौरान प्रार्थना